आज का सुविचार
मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता।

साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech
RNI. NO. MPHIN/2015/76299
संपादक-नागेश नरवरिया

YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है.. संपर्क करे -9425156055

वर्ष 9, अंक- 74 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 4 जुलाई 2025 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ -8 | मूल्य 2 रुपये

BNSS-329, कब वैज्ञानिक विशेषज्ञों की साक्ष्य रिपोर्ट सबूत के रूप में पेश होगी जानिए

जब कोई खाद्-पदार्थ मैं मिलावट का मामला सामने आता है या किसी विस्फोटक सामग्री में जैसे दीवाली के फटाके,रस्सी बम आदि में तब पुलिस अधिकारी जैसे बहुत से पदार्थों एवं खतरनाक सामग्रियों को जब्त कर लेते हैं और इनकी जांच के लिए विशेषज्ञों के पास भेज दिया जाता है तब कौन से वैज्ञानिक विशेषज्ञ इनकी जाँच करेगे एवं अपनी जाँच रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में कैसे प्रस्तुत करेंगे जानिए।

भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 329 की परिभाषा?

युवा प्रदेश समाचार पत्र - लेखक बीआर अहिरवार(एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

1. कोई दस्तावेज जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के पास किसी पदार्थ,सामग्री, वस्तु की जाँच या सत्यापन के लिए दिया गया है तब वह रिपोर्ट को वैज्ञानिक स्वहस्ताक्षरित कर न्यायालय को जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के समय साक्ष्य के रूप में देगा।

2. अगर न्यायालय को लगता है की वह जाँच करने वाले वैज्ञानिक को रिपोर्ट की विषयवस्तु समझने के लिए न्यायालय बुलाना आवश्यक है तो वह समन जारी कर सरकारी वैज्ञानिक को न्यायालय बुला सकता है।

3. लेकिन अगर जिस वैज्ञानिक को न्यायालय ने समन जारी कर बुलाया है अगर वह किसी कारणवंश आने में असमर्थ है तब वह वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक विशेषज्ञ को न्यायालय भेज सकता है जिसे उस मामले के तथ्यों का ज्ञान हो एवं उसका साक्ष्य न्यायालय में मान्य होगा।

4. यह धारा निम्न सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों पर लागू होती है जानिए-

(क). सरकार का कोई भी रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक।

(ख). सरकारी मुख्य विस्फोटक नियंत्रक।

(ग). अंगुली-छाप कार्यालय निदेशक।

(घ). निदेशक, हफकीन संस्थान, मुम्बई।

(ड). कोई भी केंद्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला या कोई राज्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला का निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक।

(च). सरकारी सीरभ विज्ञानी।

(छ). कोई भी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सूचना के माध्यम से विनिदिर्ष्ट (अनुज्ञप्ति) किया गया हो।

युवा पीढ़ी को आपातकाल के इतिहास से परिचित कराना जरूरी - मुख्यमंत्री

राज्य स्तरीय महिला मॉक पार्लियामेंट को किया संबोधित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में माता-बहनों को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हरसंभव प्रयास जारी हैं। आज नरसिंहपुर जिले में एसपी और कलेक्टर दोनों पद महिला

अधिकारियों के पास हैं। शहडोल संभाग की संभागायुक्त भी महिला ही हैं। प्रदेश की मुख्य सचिव भी महिला अधिकारी रह चुकी हैं। महिला सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार विशेष रूप से संवेदनशील है, मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने दुष्कर्म के मामलों में सबसे पहले फांसी का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य स्तरीय महिला मॉक पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीपुल्स यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, महापौर श्रीमती मालती राय, सांसद श्री वी.डी. शर्मा, राज्यसभा सांसद श्री माया नारोलिया, विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, श्री हितानंद शर्मा सहित जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों की छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीसाबंदी श्री तपन भौमिक का तुलसी पौधा एवं अंगवस्त्रम भेंटकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिभागियों से आपातकाल संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिला मॉक पार्लियामेंट एक वैचारिक मंच है। संविधान की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों की हर स्थिति में रक्षा करना सभी नागरिकों का दायित्व है। देश और हम सभी के व्यक्तित्व विकास में इन दोनों बिन्दुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। मॉक पार्लियामेंट जैसी पहल से युवाओं में देश की राजनीतिक व्यवस्था की समझ विकसित होती है। युवा पीढ़ी को 50 साल पहले के आपातकाल के इतिहास से परिचित कराना जरूरी है।

BNSS- एफआईआर क्या है एवं NCR से क्यूँ अलग होती है जानिए/legal advice...

सभी आम नागरिक जानते कि इसमे संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट लिखी जाती है और इस रिपोर्ट को ही पुलिस एफआईआर कहते है अर्थात संज्ञेय अपराध की जो रिपोर्ट पुलिस थाना प्रभारी द्वारा लिखी जाएगी उसे एफआईआर कहा जाता है , जानिए कानूनी भाषा एवं नए कानून में परिभाषा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 की परिभाषा

1. संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के थाना प्रभारी को मौखिक रूप से या इलैक्ट्रानिक सूचना (ऑनलाइन शिकायत, एफआईआर) द्वारा की जा सकती है।

⏩अगर सूचना मौखिक है तो तुरंत पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबध्द की जाएगी एवं सूचना देने वाले व्यक्ति की पढकर सुनाई जाएगी एवं उस पर उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे।

⏩अगर कोई शिकायत इलैक्ट्रानिक(ऑनलाइन E- एफआईआर या शिकायत) द्वारा की गई है तब सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन दिन के भीतर बुलाकर हस्ताक्षर किए के बाद लेखबध्द की जाएगी द्व

⏩परन्तु किसी महिला से संबंधित कोई गम्भीर अपराध है जैसे बलात्कार, तेजाब से पीड़ित, छेड़छाड़ आदि तब ऐसे अपराध की एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। पीड़ित महिला अगर नि:शक्त है या कोई महिला बलात्कार से मानसिक या शारीरिक कमजोर हो गई है और वह थाने एफआईआर दर्ज करवाने आने में असमर्थ है तब पुलिस अधिकारी या तो महिला के निवास पर जाकर रिपोर्ट लिख सकते है या जहां महिला को उचित लगे वहां जाकर , लेकिन ऐसी सूचना की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी और मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध की जानकारी तुरंत संबधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को देगा।

2. एफआईआर दर्ज होने के बाद एफआईआर की एक प्रतिलिपि सूचना देने वाले व्यक्ति को तुरंत नि:शुल्क दी जाएगी।

(3) . अगर कोई संज्ञेय अपराध सात वर्ष के कारावास या उसे कम तीन वर्ष तक का है तब थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से पहले चौदह दिन की जाँच कर सकता है द्व एवं इसकी अनुमति वह डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी से लेगा।

4). अगर कोई पुलिस थाना अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करता है तब पीड़ित व्यक्ति आपनी शिकायत जिले के पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा या स्वय उपस्थित होकर कर सकता है। पुलिस अधीक्षक अगर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत से संतुष्ट हो जाता है तो या तो स्वयं उस अपराध की जाँच करेगा या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को उस अपराध की जाँच के लिए नियुक्त करेगा। पुलिस अधीक्षक (एसपी) जिस पुलिस अधिकारी को अपराध की जाँच करने के लिए नियुक्त करेगा उसे वह सब अधिकार , शक्ति प्राप्त होगी हो संबधित थाने के थाना प्रभारी को थी जिसने संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं की थी।

नोट- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज को जोड़ा गया है एवं संज्ञेय अपराध जिसकी सजा सात वर्ष से अधिक न हो उसमे पुलिस थाना अधिकारी जाँच करके एफआईआर दर्ज कर सकता है।

आम लोगों के लिए सामान्य शब्दों मे जानकारी- FIR एवं NCR ,?

पुलिस द्वारा संज्ञेय (गंभीर) अपराध में एफआईआर दर्ज की जाती है एवं आपको जानना जरूरी होगा की जब पुलिस अधिकारी द्वारा आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो उसने FIR (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1)) लिखा होगा जिससे आप सरकारी रिपोर्ट भी कह सकते हैं आम भाषा मे।

पुलिस द्वारा असंज्ञेय (कम गम्भीर) अपराध की रिपोर्ट लिखी जाती है उसे NCR कहते हैं जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, की धारा 174 लिखा होगा(

NCR असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़ित व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होना होगा यहां बहुत से लोगों NCR दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी की कार्यवाही का इंतजार करते है जबकि ह्रष्टक्र में पुलिस थाना अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई कार्यवाही नहीं करता है।

लेखक बीआर अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहाकार होशंगाबाद)

उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम ।। शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए 01-03 जुलाई तक तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्थान, शिक्षा प्रणाली, शासन की योजनाओं तथा भविष्य की दिशा के प्रति जागरूक करना था। उद्घाटन सत्र में प्राचार्य डॉ कल्पना भारद्वाज ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए शिक्षा के महत्व एवं अनुशासित जीवनशैली पर प्रकाश डाला। विभागाध्यक्ष एवं प्रवेश प्रभारी श्री शिवाकांत मौर्या ने प्रवेश प्रक्रिया एवं शासन की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।डा. अभिषेक सिंह ने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं शिक्षण विधियों सेअवगत कराया।

द्वितीय दिवस में महाविद्यालय की प्राचार्य डा कल्पना भारद्वाज ने विधि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की ।डा ओम् शर्मा ने पुस्तकालय में उपलब्ध संदर्भ ग्रंथों, ऑनलाइन संसाधनों जैसे ई ग्रन्थालय की जानकारी दी और लाइब्रेरी की भूमिका को समझाया। डा राजदीप भदोरिया ने मूट कोर्ट की प्रक्रिया तथा विधिक सहायता क्लिनिक की जानकारी देते हुए उनके उद्देश्य, विधि छात्रों के लिए महत्व, व्यावहारिक प्रशिक्षण, न्यायिक प्रक्रिया की समझ और समाज सेवा में उनकी भूमिका को स्पष्ट किया। डा महेंद्र कुमार पटेल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व, अनुशासन, और जनसेवा की भावना का विकास कैसे किया जाता है उसकी विस्तार से जानकारी प्रदान की । महाविद्यालय में उपलब्ध खेल गतिविधियों के बारे में स्पोर्ट्स अधिकारी डा हरिप्रकाश मिश्रा ने विद्यार्थियों को अवगत कराया तथा तीन दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान समूह चर्चा, प्रेरणादायक व्याख्यान तथा नव प्रवेशित विद्यार्थी और पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों ने आपस में परिचय प्राप्त किया। इस कार्यक्रम से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ा और उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ।

क्राइम ब्रांच ने वेब साईड से डाक पार्सल द्वारा खतरनाक ड्रग्स आर्डर कर मंगवाने वाले आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पकड़ा

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई कि डाक के जरिये केरला से भोपाल में भोपाल निवासी आरोपी के नाम से पार्सल मे ड्रग्स आने वाला है कि सूचना पर क्राईम ब्रांच टीम ने पोस्टमैन का पीछा किया और जैसे ही पोस्टमैने ने पार्सल पर लिखे पते पर पहुंचकर पार्सल मालिक को पार्सल लेने बुलाया और आरोपी ने जैसे ही पार्सल बंद लिफाफा पोस्टमैने से लेकर पावती पर हस्ताक्षर किये कि मौके पर क्राईम ब्रांच टीम ने आरोपीको पकड़ लिया एवं लिफाफे के सबंध में पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया लिफाफा खुद ही अपने मोबाइल से आर्डर कर स्स्ष्ठ नामक मादक पदार्थ मंगवाया । पार्सल नंबर से मिलान करने पर एक ही पार्सल नंबर होना पाया गया । आरोपीसे पूछताछ करने पर बताया कि उसने यूट्यूब पर देख कर DAUNT LINK वेब साईड से ड्रग आर्डर कर बुलाया इससे पहले भी आरोपी एक दो बार आन लाइन यह मादक पदार्थ वह मगां चुका है।आरोपी टेलीग्राम के माध्यम से ग्राहको को ड्रग्स बैचता था ।आरोपी से 1.96 ग्राम LSD मादक पदार्थ पाया गया । आरोपी से जप्त कर एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया कार्यवाही के दौरान एनसीपी के स्टाफ की मदद ली गई मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है । LSD ड्रग का पूरा नाम है Lysergic Acid Diethylamide. यह एक भ्रम पैदा करने वाली नशीली दवा है, जो मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करती है और व्यक्ति की सोच, संवेदनाएं, भावनाएं, और समय की धारणा को पूरी तरह बदल सकती है। इस दवा की खुराक पेपर टैब, कैप्सूल, लिक्विड ड्रॉप्स के रूप में लिया जा सकता है । इस दवा का प्रभाव बीस से नब्बे मिनट में शुरू हो जाता है ।इसका प्रभाव 6 से 12 घंटे तक रहता है । इस दवा की अंतराष्ट्रीय कीमत बहुत ज्यादा है। स्स्ष्ठ भारत में NDPS Act, 1985 के तहत अवैध है।

हत्या की वारदात के बाद महिलाओं का फूटा गुस्सा, गांव में शराबबंदी को लेकर शुरू हुआ आंदोलन

अब नहीं सहेंगे अत्याचार, गांव में पूरी तरह से बंद हो शराब

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेन, देवरी - ताश की चाल को लेकर हुए विवाद में हुई हत्या के बाद, गांव की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के बाद शुक्रवार को सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में झाड़ू और बर्तन लेकर गांव में बिक रही अवैध शराब को बंद करने पर विरोध प्रदर्शन किया। हत्या की इस वारदात ने गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मृतक सोनू दुबे (35) की चाकू मारकर हत्या उसके चचेरे भाई ने कर दी। घटना के समय दोनों ने शराब पी रखी थी और ताश खेल रहे थे। इसी दौरान हुए विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि एक भाई की जान चली गई। इस घटना के बाद गांव की महिलाओं ने कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर घर में शराब से बर्बादी हो रही है। बच्चे भूखे सोते हैं और मर्द शराब पीकर लड़ाई करते हैं। ये घटना कोई पहली नहीं है, अब गांव की बहन-बेटियां चुप नहीं रहेंगी, ऐसा कहते हुए सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर आईं। घर की शांति, गांव की रक्षा ङ्क अब होगी शराब पर सख्ती, इस नारे के साथ महिलाओं ने गांव की शराब बंद करवाने की मांग की। उन्होंने पंचायत भवन के सामने धरना भी दिया और प्रशासन को चेतावनी दी कि दी की जल्द कार्यवाही करे। देवरी थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो लोग अवैध शराब बेंच रहे है उन पर उचित कार्यवाही होगी। महिलाओं की मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। जल्द ही पंचायत बैठक बुलाकर शराबबंदी पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रधानाध्यापक हरीश प्रसाद श्रीवास्तव सेवानिवृत्त शासकीय विद्यालय मोहरी में दी गई भावभीनी विदाई

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

अनूपपुर /शासकीय माध्यमिक विद्यालय मौहरी के प्रधानाध्यापक हरीश प्रसाद श्रीवास्तव ने अपनी अर्धवार्षिक आयु पूर्ण कर शिक्षक जीवन से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से एक भव्य एवं गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया।कार्यक्रम का सफल संचालन संजय श्रीवास्तव द्वारा किया गया,तथा सेवानिवृत्ति शिक्षक हरीश श्रीवास्तव के सम्मान में अभिनंदन पत्र का वचन शिक्षक संजय श्रीवास्तव एवं दिनेश मिश्रा के द्वारा किया । समारोह में ग्राम के सम्मानित नागरिक, जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण एवं छात्र उपस्थित रहे। इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच समाज सेवक रामकृष्ण मिश्र ने की कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीश श्रीवास्तव, विकासखंड जैतहरी के खंड स्त्रोत समन्वयक विष्णु मिश्रा, संकुल प्राचार्य आर.एस. प्रजापति, हाई स्कूल मोहरी के प्राचार्य श्रीमती लतिका श्रीवास्तव, राजेन्द्र तिवारी, राजेन्द्र द्विवेदी, सेवानिवृत प्रधानाध्यापक गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव, लखन श्रीवास्तव, घनश्याम राठौर , ब्रजभूषण शुक्ला, पारसनाथ तिवारी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक नरेंद्र पटेल, राज्यपाल से सम्मानित शिक्षक पुरुषोत्तम पटेल, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजय निगम उपस्थित होकर विदाई समारोह के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे, सेवानिवृत शिक्षक हरीश श्रीवास्तव के बचपन के साथी मित्र अनिल सिंह, प्रवीण शर्मा, प्रशांत शर्मा ,और भूपेंद्र शुक्ला के साथ-साथ उनकी धर्मपत्नी उनके पुत्र हर्ष और सभी बेटियां दामाद समधी एवं उनके संबंधी जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थानीय विद्यालयों की शिक्षक, उप सरपंच नरेंद्र राठौर, स्वा सहायता समूह के सभी कार्यकर्ता छात्र छात्राओं ने श्री श्रीवास्तव को भावभीनी विदाई दी गई, उपस्थित मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों के द्वारा श्री श्रीवास्तव के जीवन के प्रति सुखद कामना, स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की। तत्पश्चात अनेक अतिथि गणों ने उपस्थित होकर श्री श्रीवास्तव को शुभकामनाएँ और सम्मान स्वरूप भेट प्रदान किया।

कार्यक्रम में उपस्थित अतीथी वक्ताओं ने श्री श्रीवास्तव के सेवा-समर्पण, अनुशासन और विद्यार्थियों के प्रति उनके प्रेम को याद करते हुए कहा कि उनका योगदान विद्यालय के विकास में सदैव स्मरणीय रहेगा। छात्र-छात्राओं ने भी पुष्पगुच्छ एवं सम्मान पत्र भेंट कर विदाई दी।अपने विदाई भाषण में सेवानिवृत्ति शिक्षक हरीश श्रीवास्तव भावुक होते हुए बोले, विद्यालय मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है,और वर्तमान में शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षकों से अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने एवं लगन के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी, और अपने सहकर्मी से समय के मूल को समझने के लिए विशेष तौर पर अपने विचार रखें। बच्चों और सहयोगियों का प्रेम और स्नेह जीवनभर स्मृतियों में संजोकर रखूँगा।कार्यक्रम का समापन में फूल माला, चंन्दन की तिलक लगाकर सम्मान पत्र, शॉल और श्रीफल भेंट कर प्रधानाध्यापक श्री श्रीवास्तव जी को सम्मानित किया गया। समस्त विद्यालय परिवार ने उनके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना की। इस विदाई समारोह में पूर्व के सेवानिवृत शिक्षकों गणमान्य नागरिक रामकृष्ण मिश्रा, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक नरेंद्र पटेल राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक पुरुषोत्तम पटेल को भी शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया । कार्यक्रम के समापन के उपरांत स्वल्पाहार के साथ पड़ाके एवं बाजा गाजा के साथ से हरीश श्रीवास्तव को विदाई दिया गया ।

अवैध मदिरा का परिवहन करते सुरेश को पुलिस ने टू व्हीलर सहित किया गिरफ्तार

ज्ञानचन्दशर्मा/बालाघाट। पुलिस अधीक्षक नगेंद्रसिंह द्वारा जिले में अवैध रूप से मदिरा निर्माण,परिवहन एवम् विक्रय पर रोक लगाने हेतु लगातार निर्देश जारी किए जा रहे थे जिसके परिपालन में हट्टा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी सुरेश बांगरे पिता मार्कन बांगरे उम्र 33 वर्ष निवासी चिखला थाना नवेगांव को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब का परिवहन करते समय सालेटेका और दहिगढ़वा के बीच घिसर्री नदी पर बने पुल के पास शनिवार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब तथा परिवहन में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकल क्र.द्वश्र50 ऽ8 8035को जप्त करने में सफलता प्राप्त की है।जप्तशुदा मदिरा व मोटरसाइकल की कुल कीमत करीबन 62 हजार रूपए है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध थाना हट्टा में अपराध क्रमांक 52/25 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।गिरफ्तारशुदा आरोपी के विरुद्ध थाना हट्टा व नवेगांव में पूर्व से ही आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कई मामले पंजीबद्ध है उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी हट्टा उपनिरीक्षक अविनाश राठौर, सहायक उपनिरीक्षक नंदकिशोर दोनोडे,प्रधान आरक्षक निखलेश अग्निहोत्री, आर. बजरंग पांचे, आर. गोविंद बघेल,सैनिक देवलाल ठाकरे की सराहनीय भूमिका रही।

नमो मोर्चा के विभिन्न मण्डल अध्यक्षो सहित अन्य पदाधिकारीयों का हुआ गठन

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

मननेद्रगढ़/ छत्तीसगढ़ बता दें कि - नमो-नमो मोर्चा भारत के प्रदेश अध्यक्ष मान.श्री देवराज बघेल जी के दिशा-निर्देश एवं प्रदेश कार्यालय के आदेशानुसार जिला अध्यक्ष एमसीबी श्री यीशै दास के नेतृत्व में उनके निवास स्थान पर एक अहम बैठक आहूत की गई।जहां संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा -परिचर्चा किया गया और किस तरह से संगठन को मजबूती प्रदान हो सके उस पर विचार करते हुए।नमो-नमो मोर्चा भारत

संगठन में एक जिला पदाधिकारी के रूप में श्री बद्री प्रसाद बारी को जिला महामंत्री नियुक्त करते हुए विभिन्न मण्डलों का भी गठन एक साथ किया गया जो निम्न प्रकार से है। मण्डल अध्यक्ष मनेंद्रगढ़ बहोरन यादव, उपाध्यक्ष मनीष यादव, मण्डल अध्यक्ष खोगापानी केशव प्रसाद, उपाध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा,झगराखाड - मण्डल अध्यक्ष के रूप में चंद्रकांत त्रिपाठी , उपाध्यक्ष विजय कुमार ,लेदरी हसदेव मंडल अध्यक्ष संजय दीवान,तो वहीं जनकपुर मण्डल अध्यक्ष-रामदास को तथा नागपुर - मंडल अध्यक्ष -रमेश सिंह , सहित कोटाडोल मण्डल अध्यक्ष- ललन बालंद की नियुक्ति कर उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई।जाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर नियुक्त पत्र भी प्रदान किया गया जिस दौरान जिला उपाध्यक्ष पुनवा प्रसाद, जिला कोषाध्यक्ष अमरजीत, सह. कोषाध्यक्ष प्रदीप,जिला मंत्री ब्रिजेन्द्र मिश्रा जिला सलाहकार राधेश्याम, जिला विधी प्रकोष्ठ कमलभान ,जिला संरक्षक मोती राम,जिला मिडिया प्रभारी रामकुमार दीवान सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। उक्त विषय पर नमो- नमो मोर्चा जिलाध्यक्ष- एमसीबी यीशै दास ने मिडिया को जानकारी देते हुए बताया कि-आज प्रदेशाध्यक्ष महोदय जी के आदेशानुसार एवं प्रदेश कार्यालय के आदेश के परिपालन में मेरे द्वारा बैठक आहूत की गई।जिसमे कई विषयों पर विचार किया गया वहीं आज संगठन को आगे बढ़ाने उद्देश्य से 1 जिला पदाधिकारी सहित मण्डलों का विस्तार किया गया है।तथा शेष 03 मण्डल के अध्यक्षों की नियुक्ति रह गई है।जिसे गठन कर पुरा किया जाएगा । 03 मण्डलों में चिरमिरी, खड़गवां और केल्हारी मंडल ही के पद रिक्त हैं। बाकि मण्डलों का गठन किया गया है। सभी नवनियुक्त मण्डल अध्यक्षों और उपाध्यक्षो को मेरी शुभकामनाएं बधाई ,मुझे आशा नही पुर्ण विश्वास है कि उक्त सभी पदाधिकारी अपने- अपने क्षेत्र में नमो-नमो मोर्चा भारत संगठन को मजबूती प्रदान करने बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जानकारी दी गई।

डॉक्टर्स डे पर अनूपपुर के लोकप्रिय डॉक्टर गणेश चटर्जी ने ली विदाई अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

अनूपपुर। डॉक्टर्स डे के दिन डॉक्टर की विदाई बड़ी ही विडंबना है।गरीब से लेकर बड़े-बड़े लोगों के स्वास्थ्य का इलाज अपनी डिस्पेंसरी के साथ-साथ घर-घर जाकर करने वाले अनूपपुर शहर के जाने-माने चिकित्सक डॉक्टर गणेश चटर्जी

अब हमारे बीच नहीं रहे।डॉक्टर्स डे के दिन अनूपपुर जिला चिकित्सालय में उन्होंने अंतिम सांस ली।इसके पूर्व उनका इलाज रायपुर में चल रहा था। वरुण चटर्जी के पिता जी, वासुदेव चटर्जी एडवोकेट एवं भारती मेडिकल के संचालक सुदेव एवं देव चटर्जी के चाचाजी डॉ.गणेश चटर्जी के निधन की खबर मिलते ही जिला चिकित्सालय एवं उनके निवास पर काफी संख्या में नगर के नागरिक एकत्रित हो गए।उनकी अंतिम विदाई यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। डॉ.गणेश चटर्जी केवल चिकित्सक ही नहीं,बल्कि जनसेवक भी थे।लोगों की सेवा करना,लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देना उनकी दिनचर्या में था। डॉ.गणेश चटर्जी के निधन पर काफी लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है।एवं ईश्वर से प्रार्थना की है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।तथा शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। उनका अंतिम संस्कार सोन नदी स्थित मुक्तिधाम में किया गया।डॉ.गणेश चटर्जी अपने पीछे रोता,बिलखता परिवार छोड़ गए।उनके एक पुत्र एवं दो पुत्री एवं धर्मपत्नी थी।

टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक हुई सीएमएचओ ने सौ फीसदी नोटिफिकेशन के निर्देश दिए

पोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

सघन टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक जिला क्षय केंद्र में आयोजित हुई। बैठक में सीएमएचओ भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने क्षय उन्मूलन जागरूकता अभियान, परीक्षण, संभावित टीबी मरीजों का स्पूटम कलेक्शन, निक्षय पोर्टल पर प्रिजम्प्टिव आईडी तैयार करना, डॉट्स की उपलब्धता, उपचार सहायता, निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण की समीक्षा की। डॉ. शर्मा ने टीबी मरीज को फूड बास्केट देकर पोषण की जवाबदारी भी ली। समीक्षा के दौरान सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए कि टीबी नोटिफिकेशन 100 प्रतिशत किए जाएं। श्रमिक वर्ग और अन्य संवेदनशील वर्गों तक इस अभियान का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ प्रमुख सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे, बस स्टेशनों, कारखानों, उद्योगों, ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों, क्रेशरों इत्यादि पर शिविर लगाए जाएं। साथ ही पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, स्वसहायता समूहों, जन आरोग्य समिति, महिला आरोग्य समिति, ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन, नए निक्षय मित्रों और टीबी चैंपियंस विजेताओं की पहचान किए जाने के निर्देश दिए गए। टीबी के उपचार के साथ-साथ मरीजों के पर्याप्त पोषण के लिए निक्षय मित्रों को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए।सघन टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उच्च जोखिम वाले मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच, और उपचार प्रदान की जा रही है। अभियान में मधुमेह के मरीजों, कुपोषित, धूम्रपान करने वाले, शराब सेवन करने वाले, पूर्व टीबी मरीज, संपर्क व्यक्ति और एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को लक्षित किया जा रहा है। लक्षण वाले मरीजों में ट्रूनेट एवं एक्स-रे जैसी आधुनिक तकनीकों से जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ.मनीष शर्मा ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वनरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग एवं जांच की जा रही है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है।

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी महिला के पति ने दहेज की मांग एवं चरित्र संदेह के कारण हत्या को अंजाम दिया

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

बीते 16 जून को जीआरपी थाना इटारसी क्षेत्रांतर्गत डाउनट्रैक यार्ड रेल्वे स्टेशन पगढाल पर एक अज्ञात महिला की मृत्यु ट्रेन से कट कर हो जाने का एक मेमो डिप्टी एसएस रेल्वे स्टेशन हरदा का प्राप्त होने पर तत्काल एक टीम को महिला स्टाफ के साथ घटनास्थल के मुआयने के लिए भेजा गया। घटना स्थल को देख कर मृतिका का क्षत विक्षत शव देख कर महिला की मृत्यु संदेहप्रद प्रतीत होने से वरिष्ठ अधिकारी रेल इटारसी तत्काल मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का सभी ने बारीकी से निरीक्षण करने के बाद शव की जांच पंचानमा कार्यवाही कर घटना स्थल से मिले सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया एवं शव को पीएम हेतु शासकीय अस्पताल इटारसी मे मरचुरी रूम मे रख कर अज्ञात मृतिका के परिजनो की तलाश करते हुए जीआरपी थाना इटारसी में मर्ग क्रमांक 54/25 धारा 194 बीएनएसएस का कायम कर जांच में लिया गया। मामले की जांच के दौरान घटना स्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात महिला उम्र लगभग 22 साल के परिजनो की तलाश हेतु तत्काल प्रकाशन, प्रसारण कर सभी थानो मे

अज्ञात महिला के शव के फोटो को सर्कुलेट किए गए एवं अज्ञात महिला के परिजनो की तलाश हेतु अलग-अलग टीमों को सूरत, भुसावल एवं बिहार की तरफ रवाना किया गया। जांच के दौरान महिला के बारे मे जानकारी इका कर रही टीमों में से बिहार की टीम को सफलता मिली महिला जिला बेगूसराय बिहार की थी । परिजनो से जानकारी मिली कि रागिनी अपने पति के साथ जो जिला पटना बिहार का निवासी था उसके साथ सूरत गयी थी। जांच के दौरान सामने आया कि मृतिका की हत्या उसके पति द्वारा की गई थी। जीआरपी थाना इटारसी में असल अपराध क्रमांक 491/25 धारा 103 (1) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले के मुख्य संदेही मृतिका के पति की तलाश की गई तलाश के दौरान संदेही पति बख्तियारपुर, जिला पटना बिहार में मिला, पूछताछ पर बताया कि 15 जून को अपनी पत्नी को अपने ससुराल बिहार छोड़ने के दौरान सूरत से भुसावल आए। भुसावल मे एक दिन रुकने के बाद दिनांक 16 जून को दोनों करीब 11 बजे ट्रेन भुसावल कटनी पैसेंजर मे सतना जाने के लिए बैठे।जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पगढाल पहुंची तब उसने अपनी पत्नी को लेकर सामान सहित स्टेशन पगढाल पर उतर गया और स्टेशन के पास पटरी किनारे झाडियो के पास खेत मे जा कर शराब पीने के बाद पत्नी से मायके से मोटरसाईकिल और नगदी 25,000 रूपये लाने तथा लड़को से बातचीत एवं प्रेम प्रसंग चलने के संबंध मे वाद विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर आवेश में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी एवं पहचान छिपाने के मकसद से वहां पटरी से निकल रही चलती मालगाड़ी में रागिनी के शव को डाल दिया जिससे उसका शव ट्रेन से कट गया। आरोपी द्वारा पत्नी का आधार कार्ड एवं फोटो लेडीज पर्स से निकाल कर अपने पास ही रख लिया। और वहां से भागकर पहले सूरत और फिर सूरत से अपने गांव बिहार चला गया। आरोपी को बख्तियारपुर बिहार से पकड़कर थाना जीआरपी इटारसी लाया गया इसने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म स्वीकार किया। मामले में मृतिका नव विवाहित होने से मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक रेल इटारसी के द्वारा की जा रही है। दिनांक 25 जून को आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी को शीघ्र न्यायालय, में पेश किया जायेगा ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित कोतमा दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन सक्रिय

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली एवं पुलिस अधीक्षक श्री मोती उर्र रहमान द्वारा आज अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 4 जुलाई 2025 को अनूपपुर जिले के कोतमा में प्रस्तावित दौरे कार्यक्रम के तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोतमा स्थित मैदान का अवलोकन कर मंच निर्माण, सभा स्थल, ग्रीन रूम, प्रदर्शनी स्थल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभा स्थल पर समुचित बैरिकेडिंग, साफ-सफाई, पेयजल की व्यवस्था, सुविधा गृहों का निर्माण, आम जनों की बैठक व्यवस्था तथा प्रकाश बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री पंचोली ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम से पूर्व सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी आपसी सामंजस्य स्थापित कर जिम्मेदारियों का

निर्वहन करें। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था तथा आपातकालीन सेवाओं की तत्परता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया हेलीपैड स्थल चंगेरी का निरीक्षण: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 4 जुलाई को कोतमा में प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। इस क्रम में आज कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली एवं पुलिस अधीक्षक श्री मोतीउर रहमान द्वारा ग्राम चंगेरी में निर्माणाधीन हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया गया।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित: निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री पंचोली ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हेलीपैड पर वीआईपी आगमन को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग एवं आवश्यक सुविधाएँ समयसीमा में पूर्ण की जाएं।

एसपी ने की सुरक्षात्मक इंतज़ामों की समीक्षा: पुलिस अधीक्षक श्री रहमान ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए तथा सुरक्षात्मक इंतज़ामों की समीक्षा की। उन्होंने आगंतुकों की निगरानी, प्रवेश-निकास व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती के संबंध में भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस दौरान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अजीत तिर्की सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

समाज का गौरव बना युवा - आशुतोष इमने को आदिवासी रत्न सम्मान से सम्मानित।

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा- मध्यप्रदेश के युवा को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य स्तरीय स्वर्णिम सम्मान समारोह में श्री तोखन साहू जी, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार के करकमलों से आदिवासी रत्न सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों और समाज के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। आशुतोष ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनजातीय समाज की आवाज़ को एक नई पहचान दी है।

सम्मान समारोह स्थल- बिलासपुर छत्तीसगढ़

तारीख- 29 जून 2025

सम्मान मिलते ही पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों, मित्रों और समाज के लोगों ने उन्हें बधाइयाँ और शुभकामनाएँ दीं।

पिता बैजनाथ इमने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा

आशुतोष की इस उपलब्धि से हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। यह सम्मान पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। समाज के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक और मजबूत कदम।

राज्य सरकार खिवनी अभयारण्य के प्रभावितों के साथ दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खिवनी अभयारण्य के लिए वन विभाग द्वारा खातेगांव इछावर क्षेत्र मे की गई कार्यवाही से प्रभावित क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ समत्व भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवेदनशीलता से शिकायतों और पीड़ा को सुना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्रवाई पर खेद व्यक्त करते हुए, स्थिति का उचित समाधान निकालने, शिकायतों की जांच करवाने, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्यवाही करने और क्षेत्र के लोगों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावितों के साथ है। यह सुनिश्चित किया जाएगा की बरसात में किसी को कोई तकलीफ ना हो। राहत के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जांएगी।

पुलिस ने किया अंधे हत्याकांड का खुलासा पोता मूलचंद ही निकला दादी का हत्यारा

ज्ञानचन्दशर्मा/बालाघाट किरनापुर थानांतर्गत पाला रोड़ सिवनीखुर्द में 7 मार्च को 90 वर्षीय सुभद्रा बाई नागेश्वर की उसके ही पोते मूलचंद पिता भाउलाल नागेश्वर उम्र 34 वर्ष निवासी सिवनीखुर्द द्वारा नाक व मुंह दबाकर निर्मम हत्या कर चांदी की हसली और 12000 रुपए लूट लिए थे।एक पखवाड़े तक पुलिस द्वारा गहन जांच पड़ताल के बाद आरोपी तक पहुंचने और हत्या का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की हैं।

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या की सूचना मिलते ही किरनापुर पुलिस बल एवम् फोरेंसिक टीम तत्काल घटनास्थल पहुंची। शव निरीक्षण दौरान मृतिका के मुंह और नाक से खून निकलना पाया। परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतिका के गले में पहनी हुई चांदी की हसली और उसके पास रखे 12 हजार रूपए भी गायब हैं। डॉक्टर्स की टीम द्वारा मृतिका के शव का पीएम कराया गया। रिपोर्ट में पता चला कि मृतिका की मृत्यु दम घुटने से हुई है। सम्पूर्ण जांच उपरांत पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 86/25 धारा 103(1),309(6) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक नगेंद्रसिंह ने अज्ञात रूप से की गई सनसनीखेज हत्या के शीघ्र खुलासे हेतू निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट विजय डाबर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर के. एल.बंजारे एवम् एसडीओपी लांजी ओमप्रकाश के मार्गदर्शन में किरनापुर पुलिस टीम द्वारा उत्कृष्ट विवेचना कर हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में किरनापुर थाना प्रभारी अशोक ननामा की टीम द्वारा अज्ञात हत्या के खुलासे हेतू लगातार परिजनों एवम् गवाहों से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान मृतिका के संदिग्ध पोते मूलचंद से सघनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना अपराध दादी की हत्या कर 12 हजार रूपए एवम् गले से चांदी की हसली उतार कर लूटना स्वीकार किया।

आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मृतिका का दूसरा पोता आयुष हैदराबाद से कमाकर घर आया था और उसने दादी को अपनी कमाई के 12 हजार रूपए दिए थे जिसे उसने अपने थैले में रख दिए थे। उसी दिन शाम को घर में कोई नहीं थे इसलिए आरोपी ने रुपए लूटने की योजना बनाई।मृतिका खटिया पर लेटी थी जैसे ही आरोपी ने थैले से रुपए निकाले वो जाग गई और चिल्लाने लगी तभी आरोपी ने उसका मुंह और नाक जोर से दबाकर उसकी हत्या कर दी। जिससे उसका काफी खून भी निकला था। उसके बाद उसके गले में पहनी हुई चांदी की हसली भी चोरी कर लिया था। आरोपी से लूटे गए रुपए और हसली जप्त कर न्यायालय में पेश कर हवालात में डाल दिया गया है। इनकी रही उल्लेखनीय भूमिका किरनापुर थाना प्रभारी अशोक ननामा, उनि अमित अग्रवाल, सउनि रमेश माहुले, आर. कैलाश मेश्राम,आर.विष्णु, आर. राघवेंद्र टेकाम, आर. अरविंद जाटव, विवेक तिवारी आदि। **बालाघाट की रिपोर्ट।**

अकुआ विद्यालय में लटका ताला,बैगा छात्रों का भविष्य अंधकारमय

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर /सकरा। जिले के सकरा संकुल केंद्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय अकुआ शिक्षक विहीन हो चुका है,जिससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का भविष्य अब अंधकारमय होने की कगार पर है।प्राप्त जानकारी के अनुसार एक शाला एक परिसर अंतर्गत संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय अकुआ में कुल 03 शिक्षक पदस्थ थे,जिनमें से दो शिक्षकों को विभाग द्वारा जनशिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति देकर स्थानांतरित कर दिया गया जबकि बाकी बचा एक सहायक शिक्षक वर्तमान में मेडिकल में चल रहा है।

संरक्षित बैगा समुदाय के छात्र हैं अध्ययनरत

वैसे अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग के नियमानुसार एक शाला एक परिसर अंतर्गत संचालित प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में कम से कम 05 शिक्षकों की पदस्थापना की जानी चाहिए थी,किंतु सिर्फ 03 शिक्षकों वाले इस विद्यालय में जहां आज वर्तमान में भी बैगा जैसे संरक्षित समुदाय के लगभग 95त्न बच्चे अध्ययनरत है,के बावजूद भी संकुल प्राचार्य सकरा आर.पी.सोनी द्वारा लापरवाही बरतते हुए अकुआ विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दुर्गा किरमें तथा ब्रजनंदन शुक्ला दोनों माध्यमिक शिक्षको को जनशिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति मिलने के उपरांत नवीन शिक्षकों की पदस्थापना पूर्व ही दोनों को अकुआ विद्यालय से मुक्त कर दिया गया।जबकि पदस्थ सहायक शिक्षक लामू सिंह मरावी पहले से ही मेडिकल में गया हुआ था।जिसके बाद विद्यालय में ताला लगा हुआ है,तथा अध्ययनरत 48 छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने की कगार पर है।

संकुल प्राचार्य की लापरवाही का है परिणाम

वर्तमान में विद्यालय शिक्षक विहीन होने से मुख्य द्वारा पर ताला लटकने के कारण बच्चे भी शिक्षा विहीन हो चुके है।प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय के शिक्षकों की कमी के बावजूद संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकरा आर. पी.सोनी द्वारा दोनों शिक्षकों को मुक्त किए जाने संबंधी प्रस्ताव बनाकर बीआरसी को दे दिया गया जिस पर बीआरसीसी द्वारा अनुमोदन जिला पंचायत सीईओ को सौंप दिया गया।इस प्रकार विभाग तथा संकुल प्राचार्य द्वारा अकुआ प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना संबंधी जानकारी एकत्र किए बिना ही लापरवाही पूर्वक दोनों शिक्षकों को विद्यालय से मुक्त कर दिया गया।बैगा जाति के बच्चों के शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन और सर्व शिक्षा अभियान तथा सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग बैगा जाति के बच्चों के शिक्षा को लेकर कितना संजीदा है।

गायत्री परिवार-एक नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन

गायत्री परिवार एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन है जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। इसकी स्थापना पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने 1926 में की थी। गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देना, समाज में सद्भाव और शांति स्थापित करना और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

गायत्री मंत्र का महत्व: गायत्री परिवार का मूल आधार गायत्री मंत्र है, जिसे वेदों में सबसे पवित्र मंत्रों में से एक माना जाता है। यह मंत्र ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। गायत्री परिवार के सदस्य प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं।

गायत्री परिवार के सिद्धांत

गायत्री परिवार के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं-

नैतिकता और सदाचार- गायत्री परिवार नैतिकता और सदाचार को जीवन का आधार मानता है। इसके सदस्य सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा जैसे मूल्यों का पालन करते हैं।

आध्यात्मिकता- गायत्री परिवार आध्यात्मिकता को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का मार्ग मानता है। इसके सदस्य ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित करते हैं।

समाज सेवा- गायत्री परिवार समाज सेवा को एक महत्वपूर्ण कर्तव्य मानता है। इसके सदस्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में समाज सेवा के कार्यों में भाग लेते हैं।

एकता और सद्भाव- गायत्री परिवार सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करता है और एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है।

गायत्री परिवार के कार्य

गायत्री परिवार विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न है, जिनमें शामिल हैं-

शिक्षा- गायत्री परिवार स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का संचालन करता है, जहाँ छात्रों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य- गायत्री परिवार अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन करता है, जहाँ लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

पर्यावरण- गायत्री परिवार पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे कि वृक्षारोपण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन।

आध्यात्मिक शिक्षा- गायत्री परिवार आध्यात्मिक शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे कि योग, ध्यान और प्रवचन।

सामाजिक कार्य- गायत्री परिवार सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है, जैसे कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, आपदा राहत और पुनर्वास।

गायत्री परिवार का प्रभाव

गायत्री परिवार ने भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इसने लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करने, समाज सेवा में भाग लेने और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया है।

शांतिकुंज

गायत्री परिवार का मुख्यालय हरिद्वार, भारत में स्थित शांतिकुंज है। यह एक आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ लोग ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए आते हैं। शांतिकुंज में एक विश्वविद्यालय भी है, जहाँ छात्रों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष

गायत्री परिवार एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। इसके नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक कार्यों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। गायत्री परिवार एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

डाक्टर ईरा वर्मा

बस्तर का अनूठा गोंचा पर्व: परंपरा, श्रद्धा और सांस्कृतिक रंगों का संगम

दीप्ति बाजपेयी

जगदलपुर (बस्तर) —छत्तीसगढ़ के हरे-भरे बस्तर अंचल में जब आषाढ़ की पहली वर्षा धरती को भिगोती है, तब यहां की हवाओं में सिर्फ मिट्टी की सोंधी खुशबू ही नहीं, बल्कि एक अनोखे पर्व की प्रतीक्षा की गूंज भी घुलने लगती है — गोंचा पर्व की। यह पर्व बस्तर की माटी में रचा-बसा ऐसा उत्सव है, जो केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं, बल्कि शौर्य, संस्कृति और सामाजिक समरसता का एक जीवंत प्रतीक बन चुका है। इस वर्ष गोंचा पर्व की शुरुआत 27 जून से हो चुकी है और 5 जुलाई को बाहुड़ा गोंचा के साथ यह पर्व अपनी चरम भव्यता को प्राप्त करेगा।

600 वर्षों से जीवंत परंपरा: इतिहास के झरोखों में झांके तो गोंचा पर्व की नींव करीब छह सौ साल पहले पड़ी थी, जब बस्तर के तत्कालीन महाराजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। वहां उन्हें रथयात्रा में रथपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। उस अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने बस्तर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना कर रथयात्रा की परंपरा शुरू की। यही परंपरा बस्तर की लोक संस्कृति से घुलमिल कर 'गोंचा पर्व' का रूप ले चुकी है। इसने स्वयं को केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जनजातीय गौरव, लोक परंपराओं और सामाजिक जुड़ाव का जीवंत मंच बन गया।

गोंचा पर्व की भव्य रथ यात्रा- श्रद्धा और परम्परा का अनोखा संगम: गोंचा पर्व का मुख्य आकर्षण होती है — रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को लकड़ी से बने भव्य रथों में विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाता है। इन रथों को खींचने के लिए हज़ारों श्रद्धालु दूर-दराज़ से बस्तर पहुंचते हैं। गूंजते ढोल-नगाड़े, पारंपरिक वाद्य यंत्र, जनजातीय नर्तक दल, और लोक गीतों की स्वर-लहरियाँ वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। चारों ओर आस्था की लहरें दौड़ती हैं, लोग रथ की रस्सी खींचते हुए पुण्य की अनुभूति करते हैं।

तुपकी और पेंग- वीरता और परंपरा का अद्भुत प्रदर्शन: गोंचा पर्व को खास बनाती है — तुपकी चलाने की परंपरा, जो बच्चों से लेकर युवाओं तक के बीच उत्साह का विषय होती है। तुपकी, बांस से बनी एक नलीनुमा यंत्र होती है, जिसमें पेंग नामक एक विशेष जंगली फल को तुपकी में भरकर दबाव से चलाया जाता है। इससे तेज़ धमाके जैसी आवाज़ निकलती है, जो एक प्रतीकात्मक युद्ध की अनुभूति देती है। यह परंपरा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि बस्तर की वीरता, अनुशासन और लोकशक्ति का प्रतीक है।

आरण्यक ब्राह्मणों की भागीदारी- पुरोहित परंपरा की पवित्र छाया गोंचा पर्व की आध्यात्मिक गरिमा में चार चांद लगाते हैं — आरण्यक ब्राह्मण, जो रथयात्रा एवं धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। बस्तर राजपरिवार द्वारा नियुक्त ये ब्राह्मण सैकड़ों वर्षों से इस परंपरा से जुड़े हुए हैं और रथयात्रा के सभी पूजा-विधानों को पारंपरिक वैदिक रीति से संपन्न कराते हैं। उनकी उपस्थिति गोंचा को केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान का स्वरूप देती है।

बाहुड़ा गोंचा- जब भगवान जग्गनाथ लौटते हैं अपने लोक में गोंचा पर्व का अंतिम दिन — 'बाहुड़ा गोंचा' श्रद्धा और भावनाओं की चरम अभिव्यक्ति होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मौसी के घर (गुंडिचा मंदिर) से पुनः अपने निवास स्थान लौटते हैं। यह यात्रा मानो लोक और परलोक, परंपरा और परिवार, भक्ति और भाव के मिलन की यात्रा हो। 5 जुलाई को जब बाहुड़ा गोंचा मनाया जाएगा, तो जगदलपुर के गोल बाजार से सिरहसार तक रथों की पहिये चल पड़ेंगे और गूंजेंगी, भजन, आरती और जयघोष की तरंगें आकाश को भर देंगी। इस दिन हज़ारों श्रद्धालु रथयात्रा के साक्षी बनेंगे, और यह दृश्य बस्तर की अद्वितीय आस्था और जीवंत संस्कृति को अमर कर देगा।

गोंचा- धार्मिकता, लोक कला और सामाजिक समरसता का महोत्सव: गोंचा पर्व बस्तरवासियों के जीवन का हिस्सा है। यह केवल मंदिर की चारदीवारी में नहीं सिमटता, बल्कि गली-मोहल्लों, जंगलों और जन-जन के मन में समाया हुआ पर्व है। यह पर्व धर्म और लोकसंस्कृति का ऐसा संगम है, जहां भक्ति, रंग, संगीत, वीरता और करुणा — सब एक साथ बहते हैं।गोंचा उन विरले त्योहारों में से है, जहाँ जनजातीय और पुरोहितीय परंपराएँ मिलकर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता की असली झलक दिखाता है।

टोन चेखव के नाटक का भोपाल में सफल मंचन जूलिया की कहानी ने जीता दर्शकों का दिल।

भोपाल. ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में नाटक तैयार किया गया उसके लेखक हैं एंटोन चेखव और आरंभ आरंभ कल्चर एंड वेलफेयर भोपाल संस्था द्वारा साहित्यकार स्व. गोपालदास गर्ग की स्मृति में नाटक का मंचन किया इस नाटक का निर्देशन किया है श्री विष्णु गर्ग ने तो इस नाटक की कहानी जूलिया की इस प्रकार है की एक वह बड़े घर में एक गवर्नेंस का कार्य करती है दो छोटे बच्चों को पड़ता है वह घर का मालिक है वह बहुत ही अनुशाशित है। लेकिन जब जूलिया को उसकी सैलरी देने की बात आती है तो उसको किसी न किसी कारण से उसकी कमियां निकाल कर उसकी सैलरी काट लेता है और वह जूलिया किसी प्रकार का विरोध नहीं करती है शहज स्वीकार कर लेती जब बाद में वह बोलता है मालिक के मैं तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करता रहा तुमने विरोध को नहीं किया यह सब मजाक था तुम्हारे लिए एक सबक जिंदगी में इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा कोई शोषण कर सके इसलिए इस कहानी अंत सुखद होता है और जूलिया को उसके पूरे पैसे मिलते हैं।

इस नाटक का मंचन सफल हुआ इसमें मुख्य किरदार में फरहान बेग जूलिया की किरदार में यशस्वी गर्ग मेड बनी थी सीमा जैन और मालकिन बनी थी आपकी यामिनी चक्रपाणि सभी का अभिनय बहुत शानदार रहा मिठाई वाले बने महबूब भाई , मेरी के ब्वॉयफ्रेंड के किरदार में दुर्गा शंकर लखेरा ने सभी को हंसाया खिलौने वाली का किरदार निभाया है कृष्ण गोयल ने ,और यह नाटक का संगीत व प्रकाश परिकल्पना अनिरुद्ध दत्त गर्ग ने किया . आभार और सहयोग दिनेश गोयल साहब, श्रीमती ओमवती देवी गर्ग , ऋचा मितल का रहा।

भीम आर्मी मध्य प्रदेश में जीतेन्द्र मूलनिवासी की नई जिम्मेदारी

दिनांक 25 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय शिवाजी नगर भोपाल में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया जी के द्वारा भीम आर्मी मध्य प्रदेश में एक नए नेतृत्व की घोषणा की गई है। जीतेन्द्र मूलनिवासी को मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें जिला रायसेन और सीहोर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। जीतेन्द्र मूलनिवासी ने भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील असते एवं तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं आभार व्यक्त किया और अपने पद पर रहकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से संवेधानिक दायरे में रहकर कार्य करने की शपथ ली । इस नई जिम्मेदारी के साथ, जीतेन्द्र मूलनिवासी मध्य प्रदेश में भीम आर्मी की गतिविधियों को और अधिक मजबूत बनाने और संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।पूर्व में जीतेन्द्र मूलनिवासी भीम आर्मी जिला रायसेन के अध्यक्ष एवं भोपाल संभाग अध्यक्ष भी रह चुके है भीम आर्मी के वरिष्ठ नेताओं ने जीतेन्द्र मूलनिवासी को उनकी नई जिम्मेदारी पर बधाई दी है और उन्हें अपनी नई भूमिका में सफलता की शुभकामनाएं दी हैं।

एडवोकेट जीतेन्द्र अहिरवार (मूलनिवासी) का एक विस्तृत परिचय

जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि- जीतेन्द्र अहिरवार का जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बाड़ी तहसील के ग्राम खपड़िया कला में हुआ था। यह एक ग्रामीण क्षेत्र है, जहां संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनके पिता श्री मोहन सिंह और माता श्रीमती ललिता बाई ने उन्हें एक साधारण लेकिन मूल्य-आधारित परवरिश दी। ग्रामीण परिवेश में जन्म लेने के कारण उनकी जड़ें गहरी और जमीन से जुड़ी हुई हैं, जो उनके सामाजिक कार्यों में उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

शैक्षिक यात्रा- जीतेन्द्र अहिरवार की शिक्षा एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ संकल्प से सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी शैक्षिक यात्रा इस प्रकार रही

- प्रारंभिक शिक्षा-

- कक्षा 4 तक उन्होंने एमपी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बाड़ी, रायसेन में पढ़ाई की।

- कक्षा 5 में भगत सिंह कॉन्वेंट स्कूल, बाड़ी में।

- कक्षा 8 तक प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल, बाड़ी में शिक्षा प्राप्त की।

यह शुरुआती दौर उनके लिए बुनियादी शिक्षा का आधार बना।

- माध्यमिक शिक्षा-

- कक्षा 9 से 12 तक उन्होंने शासकीय हमीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल, भोपाल में पढ़ाई की। इस दौरान वे अनुसूचित जाति बालक छात्रावास और डॉ. भीमराव अंबेडकर छात्रावास, श्यामला हिल्स, भोपाल में रहे। छात्रावास का यह समय उनके जीवन में निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि यहीं से उनकी सामाजिक चेतना जागृत हुई। डॉ. अंबेडकर के विचारों से उनका पहला परिचय यहीं हुआ।

उच्च शिक्षा-

- स्नातक स्तर पर उन्होंने हमीदिया कॉलेज, भोपाल से क्क्क (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) की डिग्री हासिल की।

- इसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए उन्होंने शासकीय विधि महाविद्यालय, भोपाल से स्क्क (कानून स्नातक) पूरा किया। यह शिक्षा उनके वकालत के पेशे और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई का आधार बनी।

पेशेवर जीवन- वर्तमान में जीतेन्द्र अहिरवार भोपाल कोर्ट में वकालत करते हैं। उनकी प्रैक्टिस केवल व्यक्तिगत मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बहुजन समाज के लोगों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने में विशेष रूप से सक्रिय हैं। वे भोपाल कोर्ट में कार्य करते हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है, वहां पहुंचते हैं। उनकी वकालत सामाजिक न्याय और शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत हथियार है। उनका यह पेशा उनकी विचारधारा का व्यावहारिक रूप है, जहां वे कानून के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं।

सामाजिक चेतना और नेतृत्व की यात्रा : जीतेन्द्र अहिरवार की सामाजिक चेतना की नींव उनके छात्रावास जीवन में पड़ी, जहां उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को आत्मसात किया। पिछले 10 वर्षों से वे सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय हैं। उनकी यात्रा इस प्रकार रही-

प्रारंभिक नेतृत्व-

- उन्होंने अपने सामाजिक कार्य की शुरुआत नाजी नेशनल अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के रायसेन जिलाध्यक्ष के रूप में की।

- इसके बाद वे भीम सेना युवा विंग मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर भीम युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य किया।

स्थानीय संगठन-

- अहिरवार समाज विकास संगठन, ब्लॉक शाखा बाड़ी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किया। इस संगठन के संस्थापक स्वर्गीय श्री गेंदालाल बरगले थे, जिनकी प्रेरणा से जीतेन्द्र ने समाज सेवा को आगे बढ़ाया।

आंदोलन और बलिदान-

- 2019 में वे भीम आर्मी, रायसेन के जिला अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज के हित में सैकड़ों आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि उन्हें कई बार जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी।

- वे रायसेन जिले के गाँव-गाँव गए, युवाओं को संगठित किया, कैडर बनाए, और बहुजन महापुरुषों जैसे डॉ. अंबेडकर की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाया। उनकी यह सक्रियता भोपाल संभाग के पाँच जिलों तक फैली।

प्रभाव- उनकी यह यात्रा एक साधारण ग्रामीण युवा से एक प्रभावशाली सामाजिक नेता बनने की मिसाल है। उन्होंने न केवल अपने समुदाय को संगठित किया, बल्कि उसे एक मजबूत आवाज भी दी।

बौद्ध धम्म का प्रभाव: 2022 में जीतेन्द्र अहिरवार ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ दिल्ली में पूज्य भंते डॉ. करुणाशील राहुल भंते जी के सानिध्य में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और बौद्ध बन गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

आध्यात्मिक परिवर्तन- बौद्ध धर्म अपनाने से उनकी विचारधारा में समानता, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्य और गहरे हुए। यह कदम डॉ. अंबेडकर के उस मार्ग का अनुसरण था, जिन्होंने बौद्ध धर्म को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया।

सामाजिक प्रभाव- इस निर्णय ने उनके अनुयायियों को भी प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज के लोग न केवल अधिकारों के लिए लड़े, बल्कि आत्म-सम्मान और आध्यात्मिक जागृति की ओर भी बढ़े। यह उनकी मूलनिवासी पहचान को और मजबूत करने वाला कदम था, जो उनकी जड़ों और संघर्ष को दर्शाता है।

संविधान बचाओ यात्रा- 2023 में जीतेन्द्र अहिरवार ने संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया, जो उनके सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का एक ऐतिहासिक कदम था।

उद्देश्य-इस यात्रा का लक्ष्य संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों को बचाने और जन-जन तक पहुँचाने का था। यह डॉ. अंबेडकर के संविधान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता है।

- प्रभाव- यात्रा में उन्हें समाज के आधे से अधिक लोगों का समर्थन मिला, जो उनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता का प्रमाण है। इसने बहुजन समाज में संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा दिया और युवाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- प्रतीकात्मकता- यह यात्रा केवल एक आंदोलन नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी कि संविधान ही वह आधार है जो शोषित और वंचित वर्गों को सम्मान और अधिकार दिला सकता है।

राजनीतिक सक्रियता: चुनावी प्रयास- रायसेन जिले की चारों विधानसभाओं में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तत्वावधान में चुनाव लड़वाया। स्वयं उन्होंने बाड़ी के वार्ड नंबर 10 से नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ वोटों से हार गए।

- प्रेरणा- उनकी राजनीतिक सक्रियता बहुजन समाज को मुख्यधारा में लाने और सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश है।

विचारधारा: छात्रावास में रहते हुए उन्होंने डॉ. अंबेडकर की विचारधारा को आत्मसात किया और बहुजन समाज के हक-अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। अपने नाम के पीछे मूलनिवासी जोड़कर वे अपनी पहचान को भारत के मूल निवासियों के संघर्ष से जोड़ते हैं। उनकी विचारधारा समानता, न्याय और आत्म-सम्मान पर आधारित है।

निष्कर्ष: एडवोकेट जीतेन्द्र अहिरवार (मूलनिवासी) एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं—एक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, आध्यात्मिक अनुयायी और राजनीतिक नेता। उनकी सामाजिक चेतना की यात्रा, बौद्ध धम्म का प्रभाव और संविधान बचाओ यात्रा उनके जीवन के ऐसे पहलू हैं जो उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाते हैं। वे बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपनी वकालत, नेतृत्व और विचारधारा के माध्यम से निरंतर प्रयासरत हैं। उनकी जड़ें ग्रामीण मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन उनका प्रभाव भोपाल संभाग और उससे आगे तक फैला हुआ है।

यह आपकी दी हुई जानकारी का विस्तृत रूप है। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं या किसी विशेष पहलू पर और विस्तार चाहते हैं, तो कृपया बताएं। मैं आपकी अपेक्षा के अनुसार इसे और समृद्ध कर सकता हूँ।

स्वत्वाधिकारी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड,तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक :-** नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)